एमएसएमई निर्यातकों को ब्याज पर छूट, बिना गिरवी ले सकेंगे लोन भी

- एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत दो योजनाओं को मंजूरी
- एमएसएमई निर्यातकों को ब्याज पर 2.75 प्रतिशत तक छूट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन से जुड़ी निर्यात प्रोत्साहन स्कीम के तहत सरकार ने नए साल में एमएसएमई निर्यातकों के लिए दो योजनाएं लांच की है। इन दोनों स्कीम का संचालन वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, एमएसएमई व वित्त मंत्रालय की देखरेख में होगा।

पहली योजना के तहत एमएसएमई निर्यातकों को लोन की ब्याज दरों पर 2.75% तक की छूट दी जाएगी। इसके तहत 5,181 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है। हालांकि यह छूट सरकार की तरफ से जारी उत्पाद के निर्यात पर ही दी जाएगी। वाणिज्य विभाग के मुताबिक इनकी सूची जारी की जाएगी। अभी यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू की जा रही है। रक्षा क्षेत्र के आइटम के एमएसएमई निर्यातकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। स्कीम के मुताबिक निर्यातकों को शिपमेंट के पहले व शिपमेंट के बाद दोनों कर्ज की ब्याज दरों पर छूट दी जाएगी। इसका मकसद निर्यात होने वाली वस्तुओं की निर्माण लागत को कम करना है ताकि वे वैश्विक बाजार में अन्य देशों से मुकाबला कर सके।

दूसरी स्कीम में सरकार एमएसएमई निर्यातकों द्वारा लिए जाने वाले कर्ज की गारंटी लेगी। माइक्रो और स्माल निर्यातक की श्रेणी में आने वालों के 85 प्रतिशत कर्ज तो मध्यम आकार के निर्यातकों के 65 प्रतिशत कर्ज की गारंटी सरकार लेगी। एक वित्त वर्ष में एक निर्यातक के अधिकतम 10 करोड़ तक के कर्ज की ही सरकार गारंटी लेगी। इसके लिए सरकार ने 2,114 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है। इस संबंध में जल्द ही विस्तृत गाइडलाइंस जारी की जाएगी।